न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 61/2021 बउनवानी गजेन्द्र सिंह फौजदार बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर वजी पुत्र श्री रामसिंह जाट, निवासी सैनिक नगर कॉलेज रोड़ गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/182

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

18.8.2021

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 26.5.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. श्री रामसिंह जाट क0 सहायक कार्यालय उपजिला कलेक्टर वजीरपुर माह फरवरी,2021 मे पी.एल हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दिनांक 1.3.2021 को प्रस्तुत मेडिकल अवकाश हेतु प्रस्तुत दस्तावेज पर अवकाश स्वीकृत नही करने के कारण एवं फरवरी,2021 का वेतन नही देने के कारण का विवरण चाहिए। किस आदेश से वेतन रोका गया है उसकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावे। वेतन रोकने वाले अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पद नाम का विवरण देवे। श्री जाट द्वारा प्रस्तुत पी.एल. फार्म व मेडिकल अवकाश हेतु प्रस्तुत दस्तावेजो की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें
2. श्री रामसिंह जाट क0सहायक को पिछले 7 वर्षो में कोई नोटिस/चार्जशीट दी गयी हो तो उसकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावे।
3. श्री नरेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के वर्तमान निवास का पता उपलब्ध करावे एवं निवास पर कब से निवास कर रहे है का विवरण उपलब्ध करावे।
4. कार्यालय उपजिला कलेक्टर के उपर बने कमरो में उपजिला कलेक्टर साहब के अतिरिक्त कौन कौन निवास कर रहे है उनके नाम व पद व कब से निवास कर रहे है का विवरण उपलब्ध करावे।
5. श्री रामसिंह जाट क0सहायक द्वारा महा मार्च,2021 व अप्रेल,2021 मे उपार्जित अवकाश लेने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये उनकी छायाप्रति उपलब्ध करावे एवं प्रार्थना पत्र पर जो आदेश कार्यवाही की गयी है उसका विवरण देवे एवं आदेश कार्यवाही के दस्तावेज की छायाप्रति उपलब्ध करावे।
6. कार्यालय उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के माह नवम्बर,2020 से अप्रेल,2020 तक के उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावे।
7. श्री नरेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर द्वारा दिसम्बर,2020 मे कार्यालय भवन के उपर स्वंय के निवास हेतु रसोई, लेट–बॉथ एवं अन्य निर्माण कराया है उसके लिए राज्य सरकार से कितना बजट आया व कितना खर्चा हुआ है उसका विवरण उपलब्ध करावे।
8. यदि सरकार से बजट नही आया एवं जन सहयोग से निर्माण हुआ है तो किस–किस व्यक्ति से कितनी–कितनी राशि/सामग्री ली गयी है। कुल कितनी राशि/सामग्री ली गयी व कितना खर्चा हुआ उसका विवरण उपलब्ध करावे व राशि उगाने वाले अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पद का विवरण उपलब्ध करावे।
9. श्री रामसिंह जाट क0सहायक कार्यालय उपजिला कलेक्टर वजीरपुर का आज दिनांक तक कितना उपार्जित अवकाश बकाया है एवं कितना मेडिकल अवकाश बकाया है। उसका विवरण उपलब्ध करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं एसडीएम वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूचना का अधिकार/2021/1022 दिनांक 12.8.2021 की ओर ध्यान

आकर्षित कर कथन किया कि उक्त पत्र के माध्यम से अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है कि "प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 मे चाही गयी सूचना कार्मिक की व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी मे आती है जिसे अन्य को दिया जाना नियमानुसार सम्भव नही है।" इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रांवली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.5.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 में चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1022 दिनांक 12.8.2021 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है,किन्तु बिन्दु संख्या 3,4,5,6,7,8,9 के संबंध में किसी प्रकार का प्रत्युत्तर अपीलान्ट को नही दिया गया है। जबकि बिन्दु संख्या 6 की सूचना अपीलान्ट को नियमानुसार उपलब्ध करवायी जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 1,2,5,9 जो कि कार्मिक श्री रामसिंह जाट की सेवा अभिलेख से संबंधित है के संबंध मे संबंधित कार्मिक श्री जाट से उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध कराये जाने अथवा नही कराये जाने के लिए सहमति लिये जाने हेतु कोई पत्राचार किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिवस में बिन्दु संख्या 3,4,7,8 के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जावे तथा बिन्दु संख्या 6 की सूचना अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे एवं बिन्दु संख्या 1,2,5,9, की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध कराये जाने अथवा नही कराये जाने के संबंध में संबंधित कार्मिक की सहमति ली जावे। यदि अपीलान्ट को उक्त सूचना उपलब्ध कराये जाने पर संबंधित कार्मिक को किसी प्रकार की आपत्ति नही हो तो उक्त बिन्दुओं की सूचना भी अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे। यद्यपि अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है किन्तु अधिनियम की तय समय सीमा 30 दिवस के स्थान पर लगभग 76 दिवस के उपरान्त अवगत कराया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी,सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रति गम्भीर नही है। जो उक्त अधिनियम एवं राजकार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। अतः लोक सूचना अधिकारी उप जिला कलेक्टर वजीरपुर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा मे प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:51 IST
Reason: SelfAttested